

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2024/125
मुकदमा नम्बर 43/2024

दर्ज दिनांक-27.03.2024

1. आंची देवी पत्नी हीरालाल
2. ओमप्रकाश पुत्र नानगराम
3. कमला पुत्री रामकुवार
4. कौशल्या देवी पत्नी शिवकरण
5. तारा पुत्री घीसाराम
6. नवीन कुमार पुत्र हीरालाल
7. प्रेमी पुत्री नानगराम
8. बिमला पुत्री नानगराम
9. ममता पुत्री नानगराम
10. रोहित पुत्र हीरालाल
11. संतोष पुत्री नानगराम
12. सुनिता पुत्री रामकुमार
13. सुरेश पुत्र रामकुमार
14. सुवा पुत्री घीसाराम जाति रैगर निवासीगण चारां का बास , परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू
2. कृष्ण पुत्र रामकुवार
3. नरोत्तम पुत्र शिवकरण
4. भागीरथ पुत्र घीसाराम
5. महावीर पुत्र रामकुवार
6. विनोद पत्रु शिवकरण
7. संजय पुत्र शिवकरण
8. सांवरमल पत्रु नानगराम जाति रैगर निवासीगण चारां का बास परसरामपुरा तहसील नवलगढ़

वकील आवेदक : - श्री अशोक कुमार जांगिड
अनावेदक सं. 1 लगा.8 - एक पक्षीय

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 27.05.2024


प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम चारां का बास पटवार हल्का परसरामपुरा के खसरा नं. 2904 रकबा 0.15 है०, ख.नं. 2905 रकबा 0.42 है०, खसरा नं. 2908 रकबा 0.38 है० खसरा नं. 2911 रकबा 0.88 है० खसरा नं. 2916 रकबा 0.10 है० कुल खसरा नं. 5 कुल रकबा 1.93 है० में सीमाज्ञान दिनांक 8/12/2023 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश किये जावे।

प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदकगण बावजूद समयक तामिल अनुपस्थित रहे इसलिये इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनू) Page 38

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिकों द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 08/12/2023 स्वीकार किया जाकर, राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा के खसरा नं. 2904 रकबा 0.15 है०, ख.नं. 2905 रकबा 0.42 है०, खसरा नं. 2908 रकबा 0.38 है० खसरा नं. 2911 रकबा 0.88 है० खसरा नं. 2916 रकबा 0.10 है० कुल खसरा नं. 5 कुल रकबा 1.93 है० में सीमाज्ञान दिनांक 8/12/2023 के अनुसार पत्थरगड्डी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर उक्त सम्बन्ध में जो भी हितबद्ध आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी में पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 27/05/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
(पिला-बुझु)